

ई-मेल/आज ही।
 श्री संजीव कुमार

प्रेषक,

जिला विकास अधिकारी,
 रुद्रप्रयाग।

सेवा में,

आयुक्त,
 ग्राम्य विकास,
 उत्तराखण्ड, पौड़ी।

27/5/25

पत्रांक 274 / 33-वि०/स्था-1/वार्षिक स्थाना०/2025-2026,

दिनांक 02 मई 2025

विषय:- वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2025-26 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 166861/2-2-स्था०/308/2022-23 दिनांक 19 अप्रैल 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार सम्बन्धित विकास खण्डों से प्राप्त खण्ड विकास अधिकारी/सहा० खण्ड विकास अधिकारियों के विकल्प संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

क्र०सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का विकासखण्ड	स्थानान्तरण हेतु इच्छित
✓	श्री प्रवीण भट्ट	खण्ड विकास अधिकारी	अगस्त्यमुनि	देहरादून, हरिद्वार, टिहरी। बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल हेतु अनुरोध।
2	श्री विजय सिंह नेगी	सहा० खण्ड विकास अधिकारी	अगस्त्यमुनि	देहरादून, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग। स्वास्थ्य खराब होने के कारण अनुरोध।
3	श्री सुरेश शाह	सहा० खण्ड विकास अधिकारी	जखोली	यथावत। दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची में नाम होने के कारण उनकी बालिका का स्वास्थ्य खराब रहने एवं शासनादेश संख्या I/30236/XX(2)/ 2023/E-33080 दिनांक 15 जून 2023 के पैरा 04 के अनुसार यथावत रखने का अनुरोध।
4	श्री जंगी लाल	सहा० खण्ड विकास अधिकारी	ऊखीमठ	जनपद-देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी। विकासखण्ड- डोईवाला, रायपुर, सहस्त्रपुर, नरेन्द्रनगर, देवप्रयाग, चम्बा।

अतः तदनुसार उक्त अधिकारी/कर्मचारियों का विकल्प संलग्न कर सेवा में सादर प्रेषित किये जा रहे हैं।

संलग्न:-यथोक्त ()।

भवदीय,
 02/05/2025
 (अनीता पंवार)
 जिला विकास अधिकारी
 रुद्रप्रयाग।

॥ स्थानान्तरण हेतु विकल्प का प्रारूप ॥

- 1- नाम अधिकारी / कर्मचारी - प्रवीण शर्मा
2- पदनाम - खण्ड विकास अधिकारी
3- विकास खण्ड / कार्यालय का नाम - निकासखण्ड अगस्त्यपुरी
4- नियुक्ति तिथि -
5- विकास खण्ड/जिला विकास कार्यालय में कार्यरत अवधि दिनांक (वर्ष 3 माह 4 दिन 1)

कुल अवधि-

- 6- स्थानान्तरण हेतु जनपद/जिला विकास कार्यालय का नाम -
1- देहरादून
2- हरिद्वार
3- टिहरी गढ़वाल
7- जनपद से बाहर स्थानान्तरण की दशा में विकल्प -(1 से 10 तक स्थान)
1- देहरादून 4- 7-
2- हरिद्वार 5- 8-
3- टिहरी गढ़वाल 6- 9-
10-

8- स्वेच्छा से स्थानान्तरण का कारण -

- 1- पुत्रग माता निपता की देखभाल हेतु
2-
3-

दिनांक - 02/05/2022

9- अग्रसारण अधिकारी की संस्तुति -

अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

पदनाम - खंड विकास अगस्त्यपुरी

प्रेषक,

जिला विकास अधिकारी,
उत्तरकाशी ।

सेवामें,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड पौड़ी ।

पत्रांक 117 /स्था0-1/स्थाना0अनुरोध पत्र/2025-26/ दिनांक 01 मई,2025

महोदय,

इस जनपद में कार्यरत डॉ० अमित मंगगाई, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटवाड़ी द्वारा अपना अनुरोध पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। उक्त अनुरोध पत्र संलग्न कर आपकी सेवामें आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न- अनुरोध पत्र

भवदीय,

(अजय सिंह)

जिला विकास अधिकारी,
उत्तरकाशी ।

प्रतिलिपि- डॉ० अमित मंगगाई, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटवाड़ी को उनके उक्त प्रार्थना-पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

जिला विकास अधिकारी,
उत्तरकाशी ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

द्वारा:-

उचित माध्यम।

विषय:-

विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एक वर्ष हेतु दुर्गम स्थान पर
जनपद उत्तरकाशी में ही रखे जाने बावत।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के कम में सादर निवेदन करना है कि मेरी धर्म पत्नी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भटवाड़ी में विगत छः माह से कार्यरत है। जो कि दूसरे जनपद से इस जनपद में स्थानान्तरित होकर आई है। महोदय अवगत करना है कि मेरी धर्म पत्नी स्वास्थ्य केन्द्र भटवाड़ी में कार्यरत होने के साथ-साथ मेरा 3 साल का छोटा बच्चा है मैं वर्तमान में विकास खण्ड भटवाड़ी में कार्यरत हूँ महोदय शासकीय सेवा के साथ-साथ अपने बच्चों की देखभाल किये जाने हेतु विकास खण्ड भटवाड़ी में स्थानान्तरण रूकवाना चाहता हूँ, ताकि मेरे बच्चों की देखभाल के साथ-साथ मैं शासकीय कार्यों का सम्पादन निष्ठा पूर्वक कर सकूँ।

अतः महोदय से कम्बद्ध प्रार्थना है कि मेरी उपरोक्त विषम परिस्थितियों मध्य नजर रखते हुए मेरा स्थानान्तरण एक वर्ष हेतु जनपद उत्तरकाशी के दुर्गम विकास खण्ड भटवाड़ी में यथावत रखे जाने की कृपा करेंगे। इस पुण्य कार्य हेतु मैं आपका आजीवन आभारी रहूँगा।

दिनांक-29.05.2025

भवदीय,

(डॉ० अमित ममगाई)
खण्ड विकास अधिकारी,
भटवाड़ी, जनपद-उत्तरकाशी।

ई-मेल

श्री राजेन्द्र प्रसाद जोशी

16/5/25

प्रेषक,

जिला विकास अधिकारी,
उत्तरकाशी ।

सेवामें,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड पौड़ी ।

पत्रांक 148 /स्था.-1 /विकल्प/2025-26/ दिनांक 06, मई, 2025
महोदय,

इस जनपद में कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद जोशी एवं सहायक खण्ड विकास अधिकारी श्री मनीष बिष्ट का दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु प्राप्त अनुरोध पत्रों/विकल्प पत्र निम्न विवरणानुसार प्रार्थना-पत्र संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित किये जा रहे हैं ।

- 1- श्री राजेन्द्र प्रसाद जोशी, खण्ड विकास अधिकारी मोरी ।
- 2- श्री मनीष बिष्ट, सहायक खण्ड विकास अधिकारी, मोरी ।

अनुसूची-2

भवदीय,

(अजय सिंह)
जिला विकास अधिकारी,
उत्तरकाशी ।

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण (अधिनियम की धाराओं के अनुरूप) हेतु प्रार्थना पत्र

1. कार्मिक का नाम पदनाम सहित: श्री. जे. डी. प्रसाद ज्योशी
2. नियुक्ति/पदोन्नति की तिथि (जो लागू नहीं हो काट दें): 28/7/2021
3. वर्तमान तैनाती कार्यालय/जनपद का नाम: रवण्ड विमान कार्यालय मारी उत्तकाशी
4. इससे पूर्व किस जनपद में कार्यरत थे तथा वहाँ से क्यों हटाये गये आधार:
(आधार यदि स्थानान्तरण हो तो उसका प्रकार स्वेच्छा, जनहित, प्रशासनिक जो भी हो उल्लेख किया जाये)

कार्मिक का नाम/पदनाम	नियुक्ति की तिथि	जन्मतिथि	गृह जनपद/वि०ख०	वर्तमान तैनाती स्थान में कच से कार्यरत है, का दिनांक	इससे पूर्व किस जनपद/तैनाती स्थान में कार्यरत थे का पदवार अध्यावधिक विवरण (दिनांकित अवधि से कमित पूर्व तैनाती जनपद/क्षेत्र का नाम स्पष्ट रूप से दिया जाये)	स्थानान्तरण हेतु वरियता कम में 10 इच्छित स्थानों के विकल्प	अभ्युक्ति(आवश्यक विवरण कोई हो)
					अवधि 1 2 3	पूर्व तैनाती जनपद/क्षेत्र/का नाम/पदनाम 1 2 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
श्री. जे. डी. प्रसाद ज्योशी	10-8-1999	01-03-1975	देहरादून	26/12/24	चिन्मयी	देहरादून	DEHRADUN
रवण्ड विमान			उत्तकाशी		पुरोला	उत्तकाशी	उत्तकाशी
अधिकारी					अधीन	रवण्ड विमान	रवण्ड विमान
						19 गाँव प्रखण्ड	उत्तकाशी
							उत्तकाशी

5. मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत नियुक्ति तो नहीं है:

6. वर्तमान समय में निलम्बित तो नहीं है अथवा विभागीय सतर्कता जांच विचाराधीन या प्रस्तावित तो नहीं है:-

7. स्थानान्तरण का कारण (स्थानान्तरण अधिनियम की धारा का उल्लेख कर संक्षिप्त विवरण)

8. स्थानान्तरण हेतु पुष्ट अभिलेख यदि कोई हो, की सत्यापित प्रति, कमित कर उपलब्ध करायी जाये:

9. अन्य विवरण यदि कोई हो:

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं वास्तविकता पर आधारित है, यदि इनमें से कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मेरा प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जाये। इस हेतु मेरा विधिकारवादा मान्य नहीं होगा।

दिनांक: 24/4/25

हस्ताक्षर (आवेदक)

नाम/पदनाम सहित

(क)-निकटतम उच्च अधिकारी की संस्तुति:

मेरे द्वारा उक्त सभी सतर्कों की सूचना की पुष्टि इनके सेवा अभिलेखों से कर ली गयी है और प्रार्थना पत्र में दिया गया सभी विवरण सत्य है।

(ख)-सक्षम अधिकारी की संस्तुति:

मेरे द्वारा उक्त सभी सतर्कों की सूचना की पुष्टि इनके सेवा अभिलेखों से कर ली गयी है और प्रार्थना पत्र में दिया गया सभी विवरण सत्य है। संवर्ग में (पदनाम) (संख्या) पद स्वीकृत है जिसके सापेक्ष पद रिक्त है। श्री/श्रीमती

पदनाम की मोहर/हस्ताक्षर

नोट-उक्त प्रारूप पर प्राप्त स्थानान्तरण आवेदन पत्र को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अनुपालनार्थ उपलब्ध करा दें।